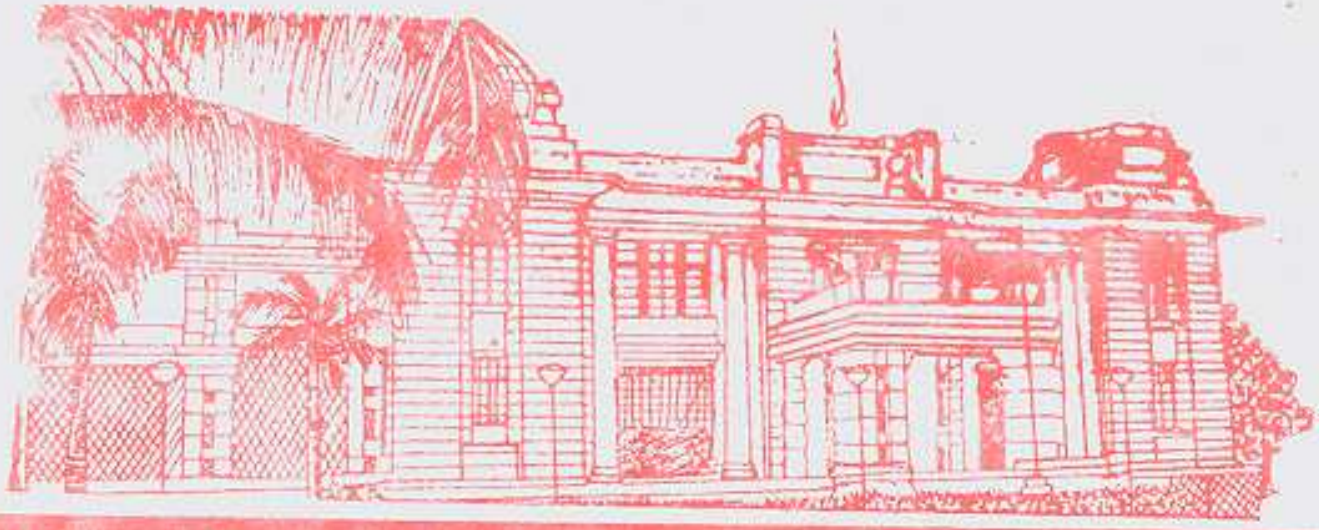

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

आज देश में चिकित्सा के हरेक क्षेत्र मे विशिष्ट जानकारी (Superspeciality|) का जमाना है। परन्तु बिहार में आज भी ज्यादातर चिकित्सा महाविद्यालय सिर्फ एम.बी.बी.एस. की डिग्रीयाँ दे रहे हैं। कुछ चिकित्सा महाविद्यालय जैसे पी.एम.सी.एच.,डी.एम.सी.एच. कुछ विभागों में स्नातकोत्तर (P.G.) की डिग्रीयाँ दे पा रहे है, परन्तु Superspeciality (विशेष जानकारी) की पढ़ाई से संबंधित डिग्रीयां तो किसी भी महाविद्यालयों में नहीं दी जा रही है। इसका मुख्य कारण प्रतीत होता है कि जब भी पी.जी. कोर्स की मान्यता देने के लिए MCI अपने जाँच दल को भेजता है तो जाँच पदाधिकारी आधारभूत संरचना और प्रोफेसरों की कमी बताकर विभिन्न विभागों में पी.जी.खोलने की मान्यता नहीं देता है। विदित हो कि चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों में आज से 15-16 साल पहले 2002 में अस्टिट प्रोफेसर की बहाली हुई थी और आज पुन: 2017 में 1171 पदों पर बहाली की अधिसूचना बी.पी.एस.सी के माध्यम से जारी हुई ऐसी परिस्थिति में निकट भविष्य में कैसे महाविद्यालयों में पी.जी.और सुपरस्पेश्लाईजेशन के विभाग खोले जा सकेंगे? महाविद्यालयों में सुपरस्पेलाईजेशन का विभाग नहीं रहने कारण गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों को ईलाज के लिए राज्य के बाहर जाना पड़ता है।

अत: मैं ध्यानकर्षण के माध्यम से सरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में सरकार कैसे चिकित्सा महाविद्यालयों में पी.जी. और Superspeciality के विभाग खोल पाएगी जिससे गंभीर और असाध्य बीमारियों का ईलाज राज्य में ही हो पाये।

ह./- संजीव श्याम सिंह
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-28/2018 - 383 (1) वि.प.। दिनांक- 19.02.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/स्वास्थ्य विभाग, बिहार/प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-27.02.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 19.02.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य में 14 सरकारी एवं गैर सरकारी चीनी मिलें सालों से बंद हैं। इनके पास लगभग 5 हजार एकड़ जमीन है। सरकार नया उद्योग लगाने हेतु योजना बनाना चाहती है तथा निवेशकों को इस नीति से आकर्षित कर राज्य के रोजगार हेतु प्रोत्साहन नीति के तहद फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाईल, चमड़ा उद्योग, हस्तकरघा उद्योग एवं अन्य उद्योगों को लगाना चाहती है तथा अन्य निजी कंपनियों को लाना चाहती है।

अत: मैं राज्य के 14 सरकारी एवं गैर सरकारी चीनी मिले जो सालों से बंद पड़े हैं उनके भूमि को भूमि राजस्व सुधार विभाग के भू-हदबंदी के नियमों के तहत बिहार राज्य औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाडा को देना चाहती है जिस पर कार्रवाई करने हेतु सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह0/- सतीश कुमार
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-29/2018 – 382 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 19.02.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/गन्ना उद्योग विभाग / कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार/प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 27.02.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 19.02.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य में 20 दिसम्बर 2017 को गोपालगंज स्थित सासामुसा चीनी मिल में बॉयलर पाइप फटने से 8 मजदूरों की मृत्यु एवं दर्जनों मजदूर गहरी जख्म में पीड़ित हुए, उस घटना के बाद मील बंद हो गया। इस मार्मिक घटना के बाद जिला प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभाव से सासामुसा मील क्षेत्र के गन्ना किसानों का गन्ना विष्णु चीनी मील हरखुवा एवं भारत चीनी मील सिधवलिया में गिराने का वैकल्पिक व्यवस्था सरकार के माध्यम से कि गई, जिससे गन्ना किसान अपने गन्ने कि आपूर्ति दोनों मिलों में काफी कठिनाईयों के साथ किया। सासामुसा मील परिक्षेत्र के अंदर लगभग 250 गांव आते हैं, सासामुसा मील परिक्षेत्र गनान्चल के नाम से प्रसिद्ध है।

वर्तमान समय में उक्त मिल में लगभग 600 कर्मचारी कार्यरत है, मील प्रबंधन द्वारा अगर मील पुन: नहीं चलाया जाता है तो उक्त मील क्षेत्र के किसानों एवं कामगारों कि स्थिति अत्यंत दयनीय हो जायेगी। मील को पुन: चलाने हेतु उक्त क्षेत्र के किसान, मील में कार्यरत कर्मचारी एवं विभिन्न सामाजिक संगठन धरना प्रदर्शन, भुख हड़ताल पर बैठे हैं। मील का पुन: चालु नहीं होना उक्त क्षेत्र के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, लाखो किसानों के भूखमरी का कारण हो सकता है।

अत: मैं सदन में सासामुसा चीनी मील को चालू कराने हेतु सरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य कि मांग करता हूँ।

ह0/- आदित्य नारायण पाण्डेय
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-30/2018 – 381 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 19.02.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/गन्ना उद्योग विभाग /कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार/प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 27.02.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 19.02.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

मधुबनी जिला के लखनौर प्रखंड अंतर्गत ग्राम,पो. लौफा टोला रघुनाथपुर वार्ड न. 10 निवासी स्व. रामलखन महतो का निधन दिनांक-3/06/1996 को समस्तीपुर स्थित मगरदही घाट में एक बस दुर्घटना के दौरान हो गई थी,मृतक स्व. रामलखन महतो पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड अंतर्गत दिनांक- 13.04.1964 से विपत्र सहायक के पद पर विद्युत आपूर्ति प्रमंडल पूर्णिया में पदस्थापित थे,विदित हो की दिनांक- 10.08.1996 को मृतक की पत्नी मो. सीता देवी ने माननीय,पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की थी जिसमें दिनांक- 3.07.1998 को न्यायालय के पारित आदेश में जनरल मैनेजर कम चीफ इंजिनियर मिथिला इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड,दरभंगा को पीडिता के आवेदन को एक माह के अंदर निष्पादन करते हुए मृत्यु परांत सेवोत्तर लाभों का भुगतान उनके उत्तराधिकारी को करने हेतु आदेश दिया गया परन्तु माननीय,पटना उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया जबकि बिहार सरकार एवं कम्पनी के द्वारा भी यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई कार्यरत कर्मचारी (पहले सात साल था, फिर हुआ पांच साल और फिर हुआ एक साल) के बारे में जीवित रहने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है तो उसका सेवोत्तर लाभ उसके उत्तराधिकारी को भुगतान कर दिया जाए मृत्यपरांत सेवोत्तर लाभों का भुगतान की आश में मृतक की पत्नी का भी निधन दिनांक- 16.09.2007 को हो गया, और आज तक मृत्युपरांत सेवोत्तर लाभों का भुगतान उनके उत्तराधिकारी नहीं मिलने के कारण मृतक के परिवार वालों के सामने भीख मांगने की स्थिति पैदा हो गई है।

अत: मैं सरकार से सदन में मृतक स्व. रामलखन महतो के मृत्युपरांत सेवोत्तर लाभों का भुगतान उनके उत्तराधिकारी श्री महेश कुमार को दिलाने के संबंध में स्पष्ट व्यतव्य की मांग करता हूँ।

ह./- सुमन कुमार
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-31/2018 - 379 (1) वि.प.। दिनांक- 19.02.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ उर्जा विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-27.02.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 19.02.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पटना शहर स्थित राजेन्द्र नगर नेत्र अस्पताल को दिल्ली स्थित एम्स के तर्ज पर आंख के इलाज हेतु सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल बनाने की कवायद शुरू हुई परन्तु डिटेल प्रोजेक्ट रिर्पोट पिछले दो वर्ष से विभाग में लम्बित है। सिर्फ कागजी खानापूर्ति हो रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट से 76 करोड़ रूपया भी पास हो चुका है। चार फ्लोर का आधुनिक भवन बनाने हेतु टेंडर भी जारी हुआ है। पहले रूपया भी पास हो चुका है। फ्लोर का आधुनिक भवन बनाने हेतु टेंडर भी जारी हुआ है। पहले चरण में नेत्र अस्पताल को रेनोवेट कर सामान्य कार्य शुरू भी हुआ। परन्तु अभी सिर्फ मोतियाबिंद का आपरेशन होता है। वर्ष 2016 में ही अस्पताल निर्माण कार्य को शुरू करना था। लेकिन अभीतक कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है।

अत: मैं सदन के माध्यम से सरकार से सुपर स्पेशयलिट अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने हेतु स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- दिलीप राय
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-32/2018 - 380 (1) वि.प.। दिनांक- 19.02.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/स्वास्थ्य विभाग, बिहार/प्रश्न शाखा/निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-27.02.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 19.02.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्